कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला, पो–बी०एम०वाय०चरोदा जिला – दुर्ग (छ०ग०)
Website : www.cgcoopdairyfed.in E-Mail : raipurdugdhsangh@gmail.com

।। प्रपत्र–दुग्ध विपणन परिवहन हेतु निविदा सूचना।।

सहपत्रों की सूचीः–

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक	पृष्ठ संख्या
01.	समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा	01	01
02.	दुग्ध वितरण परिवहन निविदा शेड्यूल	02	01
03.	निविदा के नियम एवं शर्तो की जानकारी	03––09	07
04.	मार्ग विवरण	10	01
05.	टेण्डर फार्म (प्रपत्र ब)	11––12	02
06.	दुग्ध वितरण हेतु अनुबंध	13––18	06
07.	संनिष्ठा संधि	19––23	05
08.	काली सूची में न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–1)	24	01
09.	मार्गवार धरोहर राशि की जानकारी (अनुसूची–2)	25	01
10.	निकट संबंधी न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–3)	26	01

कुल पृष्ठों की संख्या 27

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला, पो–बी०एम०वाय०चरोदा जिला – दुर्ग (छ०ग०)
Website : www.cgcoopdairyfed.in E-Mail : raipurdugdhsangh@gmail.com

क्रमांक / 4108 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2023 **उरला, दिनांक 13.01.2023**

।। दुग्ध विपणन परिवहन निविदा सूचना।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के दुग्ध विपणन मार्गो में वाहन परिचालन हेतु दो वर्ष के लिए तापरोधी (इंसुलेटेड) वाहन हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। वांछित विस्तुत विवरण महासंघ की वेबसाइट **www.cgcoopdairyfed.in** में उपलब्ध है।

निविदा दिनांक 08.02.2023 को दोपहर 3:00 बजे दुग्ध महासंघ उरला मुख्य कार्यालय में खोली जायेगी।

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला, पो–बी०एम०वाय० चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 4108 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2023 उरला, दिनांक 13.01.2023

।। शेड्यूल–दुग्ध वितरण परिवहन हेतु निविदा ।।

1.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की विधि	निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in से 14.01.2023 से डाउनलोड किया जा सकेगा।
2.	निविदा जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 08.02.2023 दोपहर 1 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट / पंजीकृत पोस्ट द्वारा निम्न पते पर प्राप्त हुई निविदाएं ही शामिल की जावेंगी :– **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित,** **कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल,** **शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर,** **नगर घड़ी चौक रायपुर (छ.ग.)** **पिन : 492001**
3.	निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	08.02.2023 दोपहर 3:00 बजे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम–उरला–बी0एम0वाय0 चरोदा, जिला : दुर्ग (छ0ग0), पिन : 490025, विपणन शाखा
4.	निविदा खोलने की प्रक्रिया	➢ सर्वप्रथम बड़ा लिफाफा "C" खोल कर लिफाफा "A" ,"B" प्राप्त किया जावेगा। ➢ लिफाफा "A" को खोलकर निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज की जॉच की जावेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सहीं होने पर ही भाव पत्र का लिफाफा, लिफाफा "B" खोला जावेगा।
5.	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1,000 / – का डिमांड ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र महासंघ की वेबसाइट **www.cgcoopdairyfed.in** से डाउनलोड किया जाना होगा।
6.	निविदा धरोहर राशि	मार्गवार निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो **"छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित" (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा।

नोट :– निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हें अगले कार्यदिवस में समान निर्धारित समय तक प्राप्त करते हुए समान निर्धारित समय में खोला जावेगा।

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

।। नियम एवं शर्ते–दुग्ध वितरण परिवहन हेतु निविदा ।।

क्रमांक/4108/छ.ग.दु.म.सं./विपणन/2023 उरला, दिनांक 13.01.2023

1.कार्य का स्वरूप :–

(i) यह निविदा सामग्री के परिवहन के लिए वाहन आवश्यकता हेतु जारी की गई है । वाहन ठेकेदार को संबंधित दुग्ध संयंत्र से देवभोग दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा नियुक्त बूथ एजेंट, वितरक, संस्था आदि को प्रदाय करना होगा।

(ii) प्रतिदिन सुबह/शाम एक पाली अथवा दोनों पाली में निर्धारित समय पर वाहन लोडिंग हेतु संबधित संयंत्र/स्थान पर लगाकर समय पर वितरण संपन्न कराना तथा खाली क्रेट/कैन नियमित रूप से संयंत्र/शटल पाईंट तक लाना वाहन ठेकेदार की जवाबदारी होगी। इस हेतु महासंघ द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार दी गई निर्धारित समय सारणी वाहन ठेकेदार को मान्य होगी।

2.पात्रता :–

(i) विपणन कार्य हेतु वाहन मॉडल वर्ष 2018 या इसके बाद को प्राथमिकता दी जावेगी। इसके पूर्व की वाहन के लिए निविदा भरने की दशा में निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा की वाहन अच्छी स्थिति में उचित रख–रखाव के साथ रखी गई है। यदि अवलोकन में वाहन उपयुक्त नहीं पाई गई तो एक सप्ताह में वैकल्पिक उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराई जावेगी। वांछित कार्यवाही न होने पर धरोहर राशि राजसात कर निविदा निरस्त की जा कर अन्य निविदाकार को अवसर दिया जा सकेगा।

(ii) वाहन से संबंधित रोड टेक्स इत्यादि भरा हुआ होना चाहिए एवं वाहन बीमाकृत होना चाहिए। अन्य दस्तावेज भी नवीनीकृत होने चाहिये। स्वीकृत होने पर संपूर्ण निविदा अवधि में वाहन एवं चालकों के समस्त वांछित दस्तावेज अद्यतन नवीनीकृत रखना निविदाकार की जिम्मेवारी होगी ।

(iii) निविदाकार को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें। इसे मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा। नई (सोल्ड) वाहन के लिए निविदा प्रस्तुत होने पर निविदा स्वीकृति की दशा में 15 दिन में वाहन के कागजात प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

(iv) यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित अथवा काली सूची (ब्लेक लिस्ट) में डाला गया है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा। साथ ही यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नही किया जावेगा तथा जमा अर्नेस्ट मनी राजसात की जा सकेगी। निविदाकार को संलग्न प्रारूप (अनुसूची–1) में काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र निविदा के साथ लगाना होगा।

3. कार्य की वैधता :–

(i) इन्सुलेटेड वाहन की टेण्डर अवधि 2 वर्ष की होगी। किसी विशेष मार्ग में इन्सुलेटेड वाहन की निविदाएं प्राप्त न होने पर ही सामान्य वाहन की निविदा पर विचार किया जा सकेगा। सामान्य वाहन की निविदा अवधि 1 वर्ष की होगी। निविदा अवधि समाप्ति के बाद प्रबंध संचालक का यह अधिकार होगा कि वह ठेका अवधि 1 वर्ष तक समान दरों पर बढ़ा सकेंगे।

4. जुर्माना :–

(i) आदेश देने के पश्चात उरला संयंत्र से सम्बद्ध वाहनों का 03 दिवस में वाहन कार्यालय में निरीक्षण हेतु लाकर सहायक महाप्रबंधक (यांत्रिकी), सहायक महाप्रबंधक (विपणन) एवं प्रभारी गुण नियंत्रण की गठित समिति के समक्ष निरीक्षण करवाना होगा। शेष संयंत्रो से सम्बद्ध वाहन उसी संयंत्र के प्रभारी द्वारा गठित समिति के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जानी होंगी। समय सीमा में वाहन न लाने पर धरोहर राशि राजसात करते हुये निविदा निरस्तीकरण एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को कार्य आबंटन किया जा सकेगा। खुली/सोल्ड वाहन पर निविदा स्वीकृति की स्थिति में वाहन के इन्सुलेशन हेतु अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा। निश्चित समय में स्वीकृत दर पर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर या निविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

(ii) निविदाकार को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें। इसे मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा। वाहन संचालन हेतु निष्पादित किये गये अनुबंध में संचालित हो रही वाहन का पंजीयन क्रमांक दर्ज किया जावेगा। बिना पूर्व अनुमति/सूचना के आदेशित वाहन के स्थान पर अन्य वाहन लगाये जाने पर इस अवधि के परिवहन देयक में 50 प्रतिशत राशि का कटौत्रा किया जावेगा।

(iii) महासंघ की सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सामान एवं सवारी दूध वाहन में नहीं ले जाया जायेगा। महासंघ के अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जॉच के समय यदि उपरोक्त अनियमितता पायी गयी तो उस पाली का भाड़ा महासंघ द्वारा देय नहीं होगा। लगातार तीन बार शिकायतें रहती है तो वाहन संचालन आदेश निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक महासंघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

...3...

(iv) वाहन ठेकेदार बिना महासंघ की अनुमति के विपणन कार्य हेतु वाहन नहीं बदल सकता व वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिए बिना अनुमति के वाहन बदल सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक दिन से अधिक का समय लगता है तो महासंघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि तक के लिए दूसरा वाहन चला सकता है, परंतु लगाई गई वैकल्पिक वाहन अच्छी स्थिति में, समान भार क्षमता एवं इंसुलेटेड वाहन संचालन आदेश की स्थिति में वैकल्पिक वाहन भी इंसुलेटेड होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी मापदण्ड का पालन न होने पर स्वीकृत दर का 50 प्रतिशत ही भुगतान किया जावेगा, एवं ऐसी स्थिति लगातार 5 दिन से अधिक रहने पर सुरक्षा राशि राजसात करते हुयें संचालन आदेश निरस्त किया जा सकेगा, साथ ही महासंघ द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था में दर अंतर की राशि वाहन ठेकेदार के लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।

ठेके की अवधि में यदि वाहन ठेकेदार किसी दिन वाहन दूध वितरण करने में असफल रहता है तो उस दिन के आदेशित संपूर्ण दूध एवं दुग्ध उत्पाद की उपभोक्ता दर पर राशि दंड स्वरूप वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी तथा उस दिन के परिवहन देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा। दंडित राशि के उत्पाद वाहन ठेकेदार को नहीं दिये जायेंगे। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यदि महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था कर वितरण कार्य संपन्न कराता है तो ऐसी प्रत्येक घटना पर इस व्यवस्था में हुये अतिरिक्त व्यय की राशि दस हजार रूपये के अर्थदंड के साथ वसूल की जावेगी। रास्ते में वाहन खराब होने/दुर्घटना ग्रस्त होने पर वाहन टेकेदार को अपनी जिम्मेदारी तथा व्यय पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा दूध/दुग्ध पदार्थ को निश्चित जगह पर निर्धारित समय पर पहुँचना होगा। ऐसी परिस्थिति में हुए नुकसान की कोई प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा नहीं की जावेगी, तथा नुकसान की वसूली वाहन ठेकेदार से की जावेगी। वैकल्पिक व्यवस्था में विलंब होने पर हुये नुकसान की भरपाई द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से की जावेगी। दूध एवं दुग्ध पदार्थ अपने गंतव्य तक न पहुँच पाने की प्रत्येक स्थिति में इनकी उपभोक्ता दर पर राशि रू. 10,000/– के अर्थदण्ड के साथ वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(v) निविदा में वांछित क्षमता का वाहन ही उपलब्ध कराया जाना होगा । वाहन में वांछित क्षमता के अनुरूप लोडिंग व्यवस्था न होने पर हुई डिमांड कटौती की प्रत्येक स्थिति में कटौती मात्रा की उपभोक्ता दर पर 10 गुनी राशि का कटौत्रा परिवहन ठेकेदार के परिवहन देयक से किया जावेगा । इसी प्रकार परिवहन नियमों के अनुरूप वाहन संचालन की जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी । ओवर लोडिंग या अन्य किसी भी कारण से सक्षम अधिकारी द्वारा की गई समस्त शास्तियों/अर्थदंड हेतु वाहन ठेकेदार ही जवाबदेह एवं उत्तरदायी रहते हुये इनका वहन अपने व्यय पर करेगा ।

(vi) वाहन ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त होने पर 1 माह के अंदर दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध महासंघ के उत्पादो का विज्ञापन अनुबंधित वाहनो पर लिखवाना होगा। इंसुलेटेड वाहनों में महासंघ उपयुक्त विनाईल लगवायेगा जिसके लिये 2 टन क्षमता तक की वाहनों पर रू. 3,000/– तथा बड़ी वाहनों हेतु रू. 5,000/– परिवहन ठेकेदार के प्रथम देयक से काटा जावेगा। सामान्य वाहनों पर निविदाकार द्वारा उपयुक्त विज्ञापन जिसमें संपर्क नंबर लिखा हो स्वयं लगवाये जायेंगे। विज्ञापन निर्धारित अवधि तक नहीं लगवाने पर रू. 100.00 प्रतिदिन आर्थिक दण्ड भी लगाया जावेगा।

(vii) वितरण वाहन ठेकेदार को वितरण कार्य समय पर संपादित करना आवश्यक होगा। सामान्य स्थिति में वाहन अंतिम पाईन्ट पर प्रातः 7 बजे तक पहुँचना आवश्यक होगा । 7.15 के बाद वाहन पहुँचने पर उस दिन का परिवहन देयक नहीं दिया जावेगा।

(viii) वाहन ठेकेदार को प्रातः पाली में प्रदायित क्रेट उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे तक डेयरी में जमा करना आवश्यक होगा। शाम पाली में प्रदायित क्रेट रात्रि 10:30 तक जमा करना आवश्यक होगा। आवश्यक होने पर केवल शटल स्थानों से संचालित वाहनों को इस कंडिका से आंशिक छूट दी जा सकेगी। निर्धारित समय के बाद क्रेट प्राप्त होने पर उस दिन के परिवहन देयक की राशि या रू. 500/– जो भी कम हो, का कटौत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा। बाजार स्थिति के दृष्टिगत 1/16 तारीख को प्रदायित क्रेट का अधिकतम 15 प्रतिशत बाजार में छोड़ने की अनुमति होगी। किसी भी तिथि में इससे अधिक क्रेट बकाया होने पर रू. 5/– प्रतिदिन प्रति क्रेट की दर पर राशि का कटौत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा। प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं अंतिम तिथि में शत् प्रतिशत क्रेटो की वापसी आवश्यक होगी। कम प्राप्त क्रेटो की प्रचलित क्रय दर के आधार पर गणना की गई राशि का कट्रोत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा।

रात्रि पाली में लोडिंग हेतु वाहनों की रिपोर्टिंग 10:30 बजे तक आवश्यक होगी। निर्धारित समय के बाद वाहन आने पर रू. 500/– प्रति ट्रीप का कट्रौत्रा परिवहन देयक से किया जायेगा। इसी प्रकार शासकीय नियमों का पालन अनिवार्य होगा। प्रचलित नियमों का पालन नहीं होने की स्थिति में रू. 500/– प्रति ट्रीप का कट्रौत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा। इस संबंध में डेयरी डाक सहायक की रिपोर्टिंग पर्याप्त आधार होगी।

...4...

(ix) डेयरी की परिधि के अन्दर आने वाली वाहन निर्धारित रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाई जावेगी, न ही डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई की जायेगी। इसी प्रकार वाहन ठेकेदार के वाहन ठेकेदार/हेल्पर द्वारा प्लांट परिसर में अनुशासन भंग कार्य किये जाने पर प्रथम पक्ष को स्वविवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा। वाहन का डेयरी डाक पर प्रतिदिन निरीक्षण किया जावेगा। वाहन साफ न होने पर डेयरी डाक सहायक की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी प्रत्येक अवसर पर रू. 200/– का कटौत्रा वाहन ठेकेदार के देयक से किया जावेगा। इस संबंध में डेयरी डाक सहायक से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट ही पर्याप्त आधार होगी।

(x) वाहन लोडिंग के बाद यदि इसमें वितरण शीट से अधिक संख्या में मिल्क क्रेट, कैन, दूध पैकेट, दुग्ध उत्पाद पैकेट पाए जाते हैं, तो निम्नानुसार राशि का कटौत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा :–

अतिरिक्त क्रेट एवं कैन की वास्तविक राशि

पाए गये अतिरिक्त दूध/दुग्ध पदार्थ की उपभोक्ता दर पर राशि का दस गुना

(xi) दुग्ध विपणन में सामान्य (नॉन इंसुलेटेड) वाहन में गर्मी एवं वर्षा से बचाव के लिए वाहन ठेकेदार को वाहन पर हुड/त्रिपाल/तालपत्री लगाना अनिवार्य होगा। हूड/त्रिपाल/तालपत्री के ना होने पर ऐसे प्रत्येक अवसर/ट्रीप पर रू. 500/– पेनाल्टी की जावेगी।

(xii) रास्ते मे मिलावट करते हुए/दूध बेचते हुए/चोरी करते हुए पकड़े जाने पर नुकसान की वसूली एवं रू. 10,000/– जुर्माना किया जावेगा। ऐसी गलती दोबारा होने पर सुरक्षा राशि राजसात करते हुयें ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

(xiii) वाहन ठेकेदार से की जाने वाली वसूली राशियों को वाहन ठेकेदार के पेंडिंग बिल और/या धरोहर राशि से वसूल करने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। वसूली की राशि देय राशि से अधिक होने पर निविदाकार अंतर की राशि जमा करने हेतु बाध्य होगा।

(xiv) यदि वाहन ठेकेदार अपनी निविदा अवधि पूर्ण होने से पूर्व वाहन संचालन बंद करता है, तो अनुबन्ध अवधि में वैकल्पिक वाहन लगाने से बकाया निविदा अवधि तक की हुई समस्त हानि की वसूली वाहन ठेकेदार के बकाया परिवहन बिलों व धरोहर राशि इत्यादि से की जावेगी एवं यदि इसके बाद में भी राशि बकाया निकलती है तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित वसूली की कार्यवाही करेगा।

(xv) बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था को दूध देने के पश्चात मात्रा प्राप्ति की रसीद वाहन ठेकेदार को संबंधित से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधिकृत प्रतिनिधि को देनी होगी। प्राप्ति की रसीद बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था के हस्ताक्षरयुक्त नहीं होने पर यदि दूध/दुग्ध पदार्थ की मात्रा के संबंध में विवाद हुआ तो अंतर की राशि वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

5. **भुगतान की शर्ते :–**

(i) द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह दो बार देयकों का भुगतान किया जायेगा। प्रथम पखवाड़े का देयक दिनांक 20 को एवं द्वितीय पखवाड़े का देयक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक दिया जाना होगा।

(ii) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (पैन) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा, ताकि परिवहन देयक की राशि का भुगतान डिजीटल माध्यम से किया जा सके।

(iii) आयकर व व्यवसाय कर आदि की राशि परिवहन ठेकेदार से काटी जावेगी। साथ ही समय–समय पर सरकार द्वारा प्रसारित नियम आदेश नियमानुसार लागू किये जावेंगे एवं तद्नुसार कटौती की जावेगी।

6. निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया :–

6.1 लिफाफा "A" प्रपत्र शुल्क रू. 1000/–, धरोहर राशि एवं वाहन के कागजात का लिफाफा :–

(i) प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि का डी.डी. एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज एक अलग लिफाफा रखे, जिस पर लिफाफा "A" लिखा जाए।

(ii) मार्ग अनुसार निर्धारित धरोहर राशि अनुसूची 2 के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही जमा की जानी होगी। धरोहर राशि जमा न होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(iii) धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

(iv) न्यूनतम दर के निविदाकार को निविदा स्वीकृति पर जमा की जाने वाली धरोहर राशि अनुसूची 2 कॉलम क्रमांक (7) के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही जमा की जानी होगी। धरोहर राशि जमा न होने पर उनके द्वारा निविदा में जमा धरोहर राशि राजसात करते हुयें द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को अवसर दिया जा सकेगा।

<u>लिफाफा "A" में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का चेक लिस्ट</u>

क्र.	दस्तावेज का नाम	संलग्न का प्रकार
01.	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1000/– का **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट	मूलतः संलग्न किया जाना है।
02.	अनुसूची 2 कॉलम क्रमांक (6) के आधार पर वांछित मार्ग की धरोहर राशि का **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट	मूलतः संलग्न किया जाना है।
03.	**<u>वाहन से संबंधित दस्तावेज</u>** वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र वाहन का फिटनेस एवं परमिट वाहन का बीमा	स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की जानी है। (सोल्ड वाहन हेतु आवश्यक नहीं)
04.	संनिष्ठा संधि	निविदा प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 19–23 पर हस्ताक्षर कर इन्हें संलग्न करना है।
05.	काली सूची में न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–1)	संलग्न प्रारूप के अनुसार रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत कराकर मूलतः संलग्न करना है।
06.	निकट संबंधी न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–3)	संलग्न प्रारूप के अनुसार रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत कराकर मूलतः संलग्न करना है।

6.2 प्रपत्र "B" **<u>भाव पत्र :–</u>**

(i) "भाव पत्र/दर" निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जावे।
(ii) प्रपत्र में सम्पूर्ण जानकारी दी जावे। कॉट–छॉट होने पर नवीन प्रति वेबसाइट से डाउनलोड कर नवीन प्रति को बिना कॉट–छॉट के भरा जावे।
(iii) दरें प्रति किलोमीटर है या प्रति ट्रीप स्पष्ट लिखा जावे।
(iv) दरें अंको एवं शब्दों दोनो में लिखी जावे। अस्पष्ट होने/अंतर होने पर शब्दों में लिखी गई दरें मान्य की जावेगी।
(v) भारतीय स्टेट बैंक में खाता।
(vi) पैन नंबर।

<u>लिफाफा "B" में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का चेक लिस्ट</u>

क्र.	दस्तावेज का नाम	संलग्न का प्रकार
01.	प्रपत्र "B" "भाव पत्र/दर"	हस्ताक्षर कर मूलतः संलग्न किया जाना है।
02.	भारतीय स्टेट बैंक में खाता	बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
03.	पैन कार्ड	पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

6.4 निविदा खोलने की प्रक्रिया :–

(i) बड़ा लिफाफा "C" खोलकर सर्वप्रथम निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज का लिफाफा "A" खोला जावेगा।
(ii) लिफाफा "A" में निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1,000/– एवं मार्गवार निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति, वाहन से संबंधित दस्तावेज, हस्ताक्षरित संनिष्ठा संधि, काली सूची में न होने का शपथ पत्र तथा निकट संबंधी न होने का शपथ पत्र सहीं होने पर ही लिफाफा "B" खोला जावेगा।

6.5 निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :—

(i) उक्त दोनो ''A'' और ''B'' बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य बडे लिफाफे ''C'' में बंद कर कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर, नगर घड़ी चौक रायपुर (छ.ग.), पिन : 492001 को प्रेषित किया जावेगा। **लिफाफा ''C'' में उपर की ओर विपणन शाखा एवं मार्ग क्रमांक का विवरण (निविदा किस मार्ग के लिए भरी गई है, की जानकारी) लिखा जाना आवश्यक होगा।**

(ii) स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से रायपुर मे दर्ज पते पर निविदाएँ प्राप्त होना आवश्यक है। **किसी भी अन्य तरीके/स्थान पर प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।**

(iii) निविदा लिफाफा ठीक से मुहरबंद होना चाहिये।

(iv) निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

(v) उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्ते मान्य नहीं की जावेगी।

(vi) दरे प्रपत्र **''B''** में संलग्न होगी एवं सिर्फ और सिर्फ इसी प्रारूप में स्वीकृत होंगी ।

(vii) प्रत्येक दुग्ध विपणन मार्ग क्रमांक एवं मार्ग विवरण के वाहन हेतु अलग—अलग निविदा प्रस्तुत करना होगा।

(viii) निविदाकार को मार्ग की क्षमतानुसार निर्धारित वाहन उपलब्ध करानी होगी।

(ix) निविदा प्रपत्र पूर्ण बिना काटपीट के स्वच्छ अक्षरों में होना चाहिए, जिसे बन्द लिफाफे में एवं बन्द लिफाफे के ऊपर कार्य विवरण अर्थात निविदा क्रमांक एवं दुग्ध विपणन मार्ग क्रमांक हेतु निविदा आवश्यक रूप से अंकित कर जमा करें। यदि किसी प्रकार की निविदा भरते वक्त काटपीट की जाती है तो वहॉ निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

(x) निविदा में दर प्रति कि.मी./प्रति ट्रिप, माडल, वाहन का प्रकार इत्यादि की भी जानकारी मांगी गयी है । दरें प्रति किलोमीटर हैं या प्रति ट्रिप स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा निविदाकार का पता एवं फोन नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित करना होगा।

7. सामान्य नियम एवं शर्ते :—

(i) निविदा प्रपत्र की राशि रू. 1,000/— (अक्षरी राशि रू. एक हजार. मात्र) डिमांड ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय हो मूलतः जमा करना होगा।

(ii) धरोहर राशि जो कि मार्ग विवरण में दर्ज है, का डिमांड ड्राफ्ट जो **''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित''** **(Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय हो मूलतः जमा करना होगा।

(iii) निविदा शेड्यूल में अंकित स्थान एवं समय तक प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा। विलंब से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हें अगले कार्यदिवस में समान निर्धारित समय तक प्राप्त किया जावेगा। इसी प्रकार निविदा खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हें अगले कार्यदिवस में समान निर्धारित समय पर खोला जावेगा।

(iv) ऐसे वाहन ठेकेदार जो गत वर्ष अनुबंधित किये गये थे तथा जिनका कार्य संतोषप्रद नहीं रहा, की निविदा, कमेटी/प्रबन्ध संचालक द्वारा अमान्य की जा सकेगी। इस हेतु कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(v) निविदा स्वीकृत होने पर 100 रू. के नान ज्यूडिशियल स्टांम्प पेपर के साथ एवं अन्य शर्ते वाटर मार्क पेपर पर अंकित करते हुये अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(vi) आदेश देने के पश्चात उरला संयंत्र से सम्बद्ध वाहनों का 03 दिवस में वाहन कार्यालय में निरीक्षण हेतु लाकर सहायक महाप्रबंधक (यांत्रिकी), सहायक महाप्रबंधक (विपणन) एवं प्रभारी गुण नियंत्रण की गठित समिति के समक्ष निरीक्षण करवाना होगा। शेष संयंत्रो से सम्बद्ध वाहन उसी संयंत्र के प्रभारी द्वारा गठित समिति के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जानी होंगी। समय सीमा में वाहन न लाने पर धरोहर राशि राजसात करते हुये निविदा निरस्तीकरण एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को कार्य आबंटन किया जा सकेगा। खुली/सोल्ड वाहन पर निविदा स्वीकृति की स्थिति में वाहन के इन्सुलेशन हेतु अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा। निश्चित समय में स्वीकृत दर पर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर या निविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

(vii) दुग्ध विपणन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स की राशि निविदा दर में सम्मिलित करें। निविदा प्रारंभ होने के बाद लगने वाले नये टोल टेक्स की राशि महासंघ द्वारा पृथक से देय होगी।

(viii) अनुबंध अवधि में किसी विशेष परिस्थिति में प्रथम न्यूनतम निविदा दर वाले द्वारा वाहन नही लगाया जाता या अनुबंध अवधि में बीच में वाहन बंद किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को वाहन चलाने हेतु आदेश दिया जा सकेगा।

...7..

.

(ix) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानो के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाइसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा। वाहन संचालन अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के भीतर लाइसेंस प्राप्त कर इसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ में प्रस्तुत करनी होगी।

(x) विशेष परिस्थितियों में दूध की मात्रा कम होने पर अस्थाई तौर (अपरिहार्य कारणों से) पर दुग्ध मार्ग को बंद किया जा सकता है । मॉग कम होने/अन्य कारणों से वाहन एक/अधिक दिन के अंतराल में भी संचालित की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में असंचालन दिनों/पालियों का कोई किराया/क्लेम देय नहीं होगा।

(xi) निविदा प्रपत्र में दुग्ध वितरण मार्ग विवरण में दी गई दूरी अनुमानित दूरी है। प्रति ट्रिप दर प्राप्त होने पर दूरी कमी या वृद्धि को आनुपातिक रूप से कम/अधिक किया जा सकेगा। इसी प्रकार भविष्य में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत आनुपातिक दरें निर्धारित करते हुये संचालन मार्ग बढ़ाया/घटाया जा सकेगा। निविदाकार के लिये इसे मान्य किया जाना अनिवार्य होगा।

(xii) प्रत्येक वाहन में एक डेडीकेटेड मोबाईल नंबर उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन में कार्यरत स्टाफ को यह मोबाईल रखना अनिवार्य होगा।

(xiii) वाहन ठेकेदार किसी भी प्रकार की हड़ताल या बन्द में सम्मिलित नही हो सकेगा। दुग्ध परिवहन नियमित रूप से करना होगा। ऐसा न होने की स्थिति में सम्पूर्ण हानि की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी।

(xiv) निविदाकार को अनुसूची 1 एवं 3 में दिये गये प्रारूप अनुसार यह शपथ पत्र देना होगा कि उसे काली सूची में नहीं डाला गया है, एवं उसका कोई भी रिश्तेदार/निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है,/माननीय संचालक मंडल का सदस्य नहीं है। साथ ही संलग्न प्रारूप अनुसार सनिष्ठा निधि भी दी जानी होगी।

(xv) कैन/क्रेटों के लेखे–जोखे तथा रखरखाव हेतु वाहन ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

(xvi) बूथ, एजेंट अथवा दुग्ध वितरक से तात्पर्य मार्ग मे वर्तमान मे चल रहे प्वाइन्ट, बूथ, वितरण केन्द्र तथा भविष्य में महासंघ द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले नये प्वाइंट से होगा। उनको आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकेगा।

(xvii) दुग्ध वितरण वाहन ठेकेदार को अपने स्तर पर मॉग वितरण में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(xviii) अस्वीकृत निविदा की धरोहर राशि आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में अंतिम निर्णय होने के तीन माह पश्चात् बिना ब्याज के रेखांकित चेक द्वारा वापसी योग्य होगी। प्राप्त न्यूनतम दर पर वाहन संचालन सहमति पर अन्य निविदाकारों की धरोहर राशि रोकते हुये प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। इस प्रकार रोकी गयी धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । प्रतीक्षा सूची के निविदाकार को स्वीकृत निविदा के निविदाकार के संतोषप्रद तरीके से वाहन संचालन में असमर्थ रहने पर वाहन संचालन का अवसर दिया जावेगा।

(xix) पृथक–पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध महासंघ को यह अधिकार होगा की वह किस मार्ग की निविदा स्वीकृत करे। यह निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।

(xx) संचालक मण्डल अथवा महासंघ में कार्यरत कर्मचारी या निकट संबंधी की निविदायें आपत्ति /जानकारी प्राप्त होने पर निरस्त कर दी जावेंगी। निविदा स्वीकृत होने के बाद संबंध ज्ञात होने पर जॉच कर निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

(xxi) यदि भारत सरकार द्वारा डीजल की दरों में बढ़ोतरी/कमी की जाती हैं तो उसी अनुपात में महासंघ द्वारा वाहन ठेकेदार की परिवहन दर मे संशोधन किया जावेगा। निविदा खोलने की तिथि 08.02.2023 में टी. सी.आई. कुम्हारी पेट्रोल पंप के प्रचलित डीजल दरों को आधार माना जावेगा। परिवहन दर में आनुपातिक संशोधन हेतु वाहन का औसत निम्नानुसार निर्धारित है :–

वाहन का प्रकार	**औसत कि.मी. प्रति लीटर डीजल**
जीप	15
टाटा ए.सी.ई.	22
महेन्द्रा मैक्स	15
डी.आई. 207	15
पिकअप	15
टाटा 407 या बड़ी वाहनें	10

(xxii) प्राकृतिक विपदा व हड़ताल जैसे कारणो से अथवा अन्य किसी कारणवश वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है तो किसी भी प्रकार का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा देय नहीं होगा।

8. <u>अनुबंध :–</u>

(i) निविदा स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर वाहन संचालन प्रारंभ होने से पूर्व निविदाकार को संलग्न प्रारूप अनुसार रू. 100/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को समय–समय पर अनुबन्ध की शर्तों के परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार होगा, जिसे वाहन ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होगा।

(iii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में देयकों का भुगतान लंबित रखा जा सकेगा।

(iv) वाहन ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त होने पर 1 माह के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध महासंघ के उत्पादो का विज्ञापन अनुबंधित वाहनो पर लिखवाना होगा। इंसुलेटेड वाहनों में महासंघ उपयुक्त विनाईल लगवायेगा जिसके लिये 2 टन क्षमता तक की वाहनों पर रू. 3,000/– तथा बड़ी वाहनों हेतु रू. 5,000/– परिवहन ठेकेदार के प्रथम देयक से काटा जावेगा। सामान्य वाहनों पर निविदाकार द्वारा उपयुक्त विज्ञापन जिसमें संपर्क नंबर लिखा हो स्वयं लगवाये जायेंगे।

9. <u>सीमांकन क्षेत्र :–</u>

(i) किसी भी/समस्त निविदाओं को आंशिक/संपूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा।

(ii) निविदाकर्ता तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मध्य में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अनुबंध के नियम एवं शर्ते दोनो पक्षो को मान्य होगी। मतभेद की स्थिति में अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

10. <u>न्यायालयीन प्रक्रिया का कार्यक्षेत्र :–</u>

(i) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।

11. <u>घोषणा :–</u> निविदाकार द्वारा निविदा भरा जाना इस तथ्य का द्योतक है कि उसने निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्तें, अनुबंध की कंडिकाए आदि) का भली भाति अध्ययन कर समझ लिया है, एवं कोई भी तथ्य/कंडिका समझ न आने पर कार्यालय से उस पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है, तथा वह महासंघ की निविदा में दर्ज नियम एवं शर्तों एवं अनुबंध की कंडिकाओं के अनुरूप कार्य करने पर सहमत है। निविदा भरे जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

दुग्ध वितरण मार्ग का विवरण

।। दुग्ध विपणन परिवहन हेतु निविदा सूचना ।।

क्रमांक / 4108 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2023 **उरला, दिनांक 13.01.2023**

सरल क्र.	मार्ग क्र.	मार्ग विवरण	अनुमानित दूरी किलो.	भार क्षमता टन	शहर
01.	5	उरला–भिलाई–दुर्ग–नगपुरा–उरला	145	1.5	भिलाई, दुर्ग एवं नगपुरा
02.	7 ए	उरला–भिलाई–सी.आई.एस.एफ.–आर.टी.सी.–उतई–भिलाई–उरला	85	1.5	भिलाई एवं आस–पास क्षेत्र
03.	7 बी	उरला–भिलाई–सेक्टर एरिया भिलाई शहर–उरला	90	1.5	भिलाई सेक्टर एरिया
04.	11	उरला–अभनपुर–कुरूद–धमतरी–चारामा–कांकेर–केशकाल–उरला	390	3.0	अभनपुर–कुरूद–धमतरी–चारामा–कांकेर–केशकाल
05.	12	उरला–राजिम–गरियाबंद–उरला	240	2.0	उरला–अभनपुर–थनौद–राजिम–गरियाबंद–उरला
06.	15	जगदलपुर स्थानीय	100	2.0	जगदलपुर स्थानीय
07.	17	जगदलपुर करनपुर	30	1.5	जगदलपुर करनपुर
08.	21	बिलासपुर–सीपत–बिलासपुर	100	1.5	बिलासपुर, सीपत एवं आस–पास
09.	36	रायगढ़–खरसिया–रायगढ़	80	1.0	रायगढ़, खरसिया एवं आस–पास
10.	37	रायगढ़–नलवा–पुंजीपतला–रायगढ़	97	1.5	रायगढ़ एवं आस–पास
11.	38	दूबछोला–चिरमिरी–मनेन्द्रगढ़–दूबछोला	149	1.0	दुबछोला–चिरमिरी–मनेन्द्रगढ़ एवं आस–पास
12.	39	उरला–कुशालपुर–माना–नवा रायपुर–उरला	125	3.0	रायपुर–माना कैम्प–नवा रायपुर
13.	41	उरला–चरोदा–भिलाई 3–जामुल–कोहका–कुरूद–भिलाई–उरला	118	2.0	भिलाई जामुल
14.	46	अंबिकापुर–सूरजपुर–बैकुंठपुर–अंबिकापुर	166	1.5	अंबिकापुर–सूरजपुर एवं आस–पास
15.	53	अंबिकापुर स्थानीय	116	1.0	अंबिकापुर एवं आस–पास
16.	55	उरला–महासमुंद–बागबाहरा–नवोदय सरायपाली–उरला	438	3.0	महासमुंद–बागबाहरा–बसना–सरायपाली

प्रपत्र – B

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

।। निविदा फार्म वर्ष 2022–23–दुग्ध विपणन परिवहन हेतु निविदा सूचना ।।

क्रमांक/4108/छ.ग.दु.म.सं./विपणन/2023 उरला, दिनांक 13.01.2023

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,

ग्राम–उरला, पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदाकार का फोटो

महोदय,

मैंने आपके कार्यालय द्वारा जारी दुग्ध विपणन परिवहन निविदा एवं संबंधित अनुबन्ध की शर्तें पढ़ ली है। मै सरल क्रमांक .... मार्ग क्र. .... मार्ग विवरण .... में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नियम, शर्त एवं अनुबंध की कंडिकाओं अनुसार इंसुलेटेड/सामान्य वाहन संचालन का इच्छुक हूँ। यदि यह निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आवश्यक अनुबंध करने को तैयार हूँ। धरोहर राशि रू. .... (अक्षरी .... रूपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न है। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति मैं अतिरिक्त मार्ग के लिये निर्धारित धरोहर राशि रू. .... जमा कराते हुये अपना वाहन नियत दिनॉक एवं समय पर उपलब्ध कराउँगा। वांछित जानकारी निम्नानुसार है–

(1) निविदाकार का नाम ——————————————

(2) पिता का नाम ——————————————

(3) स्थायी पूरा पता ——————————————

——————————————

(4) दूरभाष/मोबाईल नंबर ——————————————

(5) निविदा विवरण :–

मार्ग का विवरण	अनुमानित दूरी (मार्ग विवरण में दर्ज अनुसार लिखें)	वाहन का प्रकार	वाहन क्षमता	मॉडल	वाहन क्रमांक	दर रू. प्रतिकिलोमीटर /प्रति ट्रिप	दर किस वाहन हेतु है, (√) अंकित करें	
							इन्सुलेटेड	सामान्य

नोट :– इंसुलेटेड वाहन को वरीयता है, स्पष्ट उल्लेख न होने पर यह माना जावेगा, कि दी गई दरें इंसुलेटेड वाहन के लिये ही हैं।

(6) वाहन की वर्तमान स्थिति इन्सुलेटेड/सामान्य अंकित करें ....
(जानकारी वाहन इन्सुलेशन में वांछित समय के लिये आवश्यक)

(7) वाहन के वैध पंजीयन, अद्यतन बीमा, फिटनेस एवं परमिट सर्टिफिकेट इत्यादि कागजातों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है ।

(8) बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं पेन कार्ड नंबर ——————————————
(छायाप्रति संलग्न हैं)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम————————

फोन नंबर ————————————

मोबाइल नंबर ....

।। घोषणा पत्र ।।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है। मुझे छ0ग0 राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो दुग्ध महासंघ का निर्णय अंतिम एवं मुझे मान्य होगा।

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकार का पूरा नाम : ....

पता : ....

....

मोबाईल नंबर : ....

फोटो द्वितीय पक्ष

दुग्ध विपणन कार्य हेतु अनुबन्ध

दुग्ध विपणन परिवहन खुला क्रमांक/4108/छगदुमसं/विपणन/ 2023 उरला, दिनांक 13.01.2023 के तारतम्य में यह अनुबंध पत्र इन्सुलेटेड/खुली वाहन संचालन हेतु आज दिनांक .... को लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला बी.एम.वाय. चरोदा जिला दुर्ग या उनके प्रतिनिधि एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति श्री... निवासी... .... है। प्रथम पक्ष को आगे महासंघ एवं द्वितीय पक्ष को आगे वाहन ठेकेदार के नाम से संबोधित किया जावेगा।

यह अनुबन्ध उभय पक्षकारों के बीच दुग्ध विपणन मार्ग क्रमांक ————————— मार्ग विवरण ———————————————————————————————— वाहन ठेकेदार की वाहन क्रमांक——————————————————माडल —————————— भार वाहन क्षमता——————————— टन, को रूपये ———————— शब्दों में ————————————————————————————————— प्रति कि.मी./प्रति पाली की दर से अनुमानित दूरी ————————— कि.मी. पर संचालन हेतु आज दिनांक ————————— को निम्नलिखित शर्तों पर दुग्ध विपणन कार्य हेतु निष्पादित किया गया :—

(1) यह अनुबन्ध अवधि दिनांक ———————— से ———————— तक रहेगा । महासंघ को यह अवधि इन्हीं शर्तों के अधीन एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार होगा।

(2) इन शर्तों को दुग्ध विपणन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जायेगा। शर्तों में जहॉ — जहॉ ं महासंघ शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला— दुर्ग माना जावेगा । डेयरी का तात्पर्य सामग्री प्रदाय स्थल होगा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अंतर्गत मुख्य संयंत्र उरला/ कोनी बिलासपुर/बाबू सेमरा जगदलपुर/कोतरा रोड रायगढ़/गांधी चौक अंबिकापुर से होगा ।

(3) वाहन ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जमा की गई धरोहर राशि रू. .... अक्षरी राशि रू. .... तथा निविदा स्वीकृति पर जमा की जाने वाली धरोहर राशि रू. .... कुल राशि रू. .... सुरक्षा राशि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., के पास जमा रहेगी जिस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। इस राशि की वापसी हेतु अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर विपणन शाखा, लेखा शाखा, सुरक्षा अनुभाग, वितरक एवं अन्य संबंधितो से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करते हुये आवेदन महासंघ में प्रस्तुत करना होगा। लेनदारी/देनदारी का समायोजन अंतिम देयक से महासंघ द्वारा तीन माह के अंदर किया जायेगा। महासंघ को अनुबन्ध समय समाप्त होने या अन्य वजह से अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर मार्ग के संबंधित इकाइयों से अदेय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) निविदा में वांछित क्षमता का वाहन ही उपलब्ध कराया जाना होगा । वाहन में वांछित क्षमता के अनुरूप लोडिंग व्यवस्था न होने पर हुई डिमांड कटौती की प्रत्येक स्थिति में कटौती मात्रा की उपभोक्ता दर पर 10 गुनी राशि का कटौत्रा परिवहन ठेकेदार के परिवहन देयक से किया जावेगा । इसी प्रकार परिवहन नियमों के अनुरूप वाहन संचालन की जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी । ओवर लोडिंग या अन्य किसी भी कारण से सक्षम अधिकारी द्वारा की गई समस्त भास्तियों/अर्थदंड हेतु वाहन ठेकेदार ही जवाबदेह एवं उत्तरदायी रहते हुये इनका वहन अपने व्यय पर करेगा ।

(5) महासंघ के निर्देशानुसार प्रतिदिन सुबह/शाम एक पाली अथवा दोनों पाली में निर्धारित समय पर वाहन लोडिंग हेतु संबधित डेयरी/शटल पाईंट स्थान पर लगाकर समय पर वितरण संपन्न कराना तथा खाली क्रेट/कैन नियमित रूप से डेयरी/शटल पाईंट तक लाना वाहन ठेकेदार की जवाबदारी होगी। इस हेतु महासंघ/डेयरी द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार दी गई निर्धारित समय सारणी वाहन ठेकेदार को मान्य होगी।

(6) वाहन ठेकेदार को प्रातः पाली में प्रदायित क्रेट उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे तक डेयरी में जमा करना आवश्यक होगा। शाम पाली में प्रदायित क्रेट रात्रि 10:30 तक जमा करना आवश्यक होगा। आवश्यक होने पर केवल शटल स्थानों से संचालित वाहनों को इस कंडिका से आंशिक छूट दी जा सकेगी। निर्धारित समय के बाद क्रेट प्राप्त होने पर उस दिन के परिवहन देयक की राशि या रू. 500/– जो भी कम हो, का कटौत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा। बाजार स्थिति के दृष्टिगत 1/16 तारीख को प्रदायित क्रेट का अधिकतम 15 प्रतिशत बाजार में छोड़ने की अनुमति होगी। किसी भी तिथि में इससे अधिक क्रेट बकाया होने पर रू. 5/– प्रतिदिन प्रति क्रेट की दर पर राशि का कटौत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा। प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं अंतिम तिथि में शत् प्रतिशत क्रेटो की वापसी आवश्यक होगी। कम प्राप्त क्रेटो की प्रचलित क्रय दर के आधार पर गणना की गई राशि का कट्रोत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा।

रात्रि पाली में लोडिंग हेतु वाहनों की रिपोर्टिंग 10:30 बजे तक आवश्यक होगी। निर्धारित समय के बाद वाहन आने पर रू. 500/– प्रति ट्रीप का कट्रौत्रा परिवहन देयक से किया जायेगा। इसी प्रकार शासकीय नियमों पालन अनिवार्य होगा। प्रचलित नियमों का पालन नहीं होने की स्थिति में रू. 500/– प्रति ट्रीप का कट्रौत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा। इस संबंध में डेयरी डाक सहायक की रिपोर्टिंग पर्याप्त आधार होगी।

(7) किसी भी कारण से यदि विपणन मार्ग पर दुग्ध विपणन कार्य बंद रहता है तो वाहन ठेकेदार को महासंघ से कोई भाड़ा नहीं दिया जायेगा व इसकी सूचना समय पर कर दी जायेगी। मॉग कम रहने पर वाहन संचालन एक दिन के अंतराल में भी किया जा सकेगा।

(8) निविदाकार को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें। इसे मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा। वाहन संचालन हेतु निष्पादित किये गये अनुबंध में संचालित हो रही वाहन का पंजीयन क्रमांक दर्ज किया जावेगा। बिना पूर्व अनुमति/सूचना के आदेशित वाहन के अन्य वाहन लगाये जाने पर इस अवधि के परिवहन देयक में 50 प्रतिशत राशि का कटौत्रा किया जावेगा।

(9) निविदा प्रपत्र में दुग्ध वितरण मार्ग विवरण में दी गई दूरी अनुमानित दूरी है। प्रति ट्रिप दर प्राप्त होने पर दूरी कमी या वृद्धि को आनुपातिक रूप से कम/अधिक किया जा सकेगा। इसी प्रकार भविष्य में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत आनुपातिक दरें निर्धारित करते हुये संचालन मार्ग बढ़ाया/घटाया जा सकेगा। निविदाकार के लिये इसे मान्य किया जाना अनिवार्य होगा।

(10) मार्ग की दूरी महासंघ के अधिकारी व वाहन ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति मे सत्यापित की जावेगी। यदि वाहन ठेकेदार या प्रतिनिधि समय पर नहीं आते है तो अधिकारी द्वारा सत्यापित दूरी मान्य होगी।

(11) महासंघ के कार्य हेतु महासंघ के अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में ले जाना होगा। महासंघ एवं संयंत्रों द्वारा दी गई दैनिक प्रतिपाली डाक, चालान आदि नियमित रूप से ले जानी, लानी होगी।

(12) महासंघ की सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सामान एवं सवारी दूध वाहन में नहीं ले जाया जायेगा। महासंघ के अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जॉच के समय यदि उपरोक्त अनियमितता पायी गयी तो उस पाली का भाड़ा महासंघ द्वारा देय नहीं होगा। लगातार तीन बार शिकायतें रहती है तो वाहन संचालन आदेश निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक महासंघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(13) मार्ग पर विक्रय केन्द्रों/संस्थाओं को महासंघ द्वारा भेजे जाने वाले सामानों को लाने अथवा ले जाने के लिए एवं उसका ठीक हिसाब रखने हेतु वाहन ठेकेदार बाध्य होगा।

(14) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि यह खराब हो जाता है तो 24 घंटो में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा सुधरवाया जावेगा।

(15) वाहन ठेकेदार द्वारा जो कर्मचारी वाहन पर नियुक्त किये जायेंगे, वे महासंघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। वाहन में एक चालक तथा एक परिचालक/लोडर कुल 02 व्यक्ति वाहन स्टाफ को खाकी पैंट एवं शर्ट पहनना आवश्यक होगा। निर्धारित गणवेश की व्यवस्था निविदाकार को अपने व्यय पर करनी होगी। वाहन में कार्यरत स्टाफ को प्रदायित संस्थानों/उपभोक्ताओं से व्यवसायोचित व्यवहार करना आवश्यक होगा । अभद्र व्यवहार की शिकायत आने पर तत्काल स्टाफ को बदलना आवश्यक होगा।

(16) निविदा नियम एवं शर्तो अनुसार डेडीकेटेड मोबाईल नंबर .... जो वाहन में उपलब्ध करा दिया गया है, हमेशा चालू स्थिति में डाटा पैक के साथ इस प्रकार रखा जायेगा कि वाहन का लाईव लोकेशन लगातार ज्ञात किया जा सके। वाहन ठेकेदार द्वारा लगाये गये स्टाफ को सभ्यता एवं व्यवसायिक मापदण्ड अनुरूप व्यवहार करना होगा। असभ्य व्यवहार , शिकायते एवं लापरवाही बरते जाने पर महासंघ के आदेशानुसार ठेकेदार को अपने स्टाफ पर कार्यवाही कर उन्हें कार्य से अलग करना होगा। ऐसा न करने पर महासंघ सुरक्षा राशि राजसात करते हुयें ठेका निरस्त कर सकता है। वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा मार्ग में विक्रय केन्द्रों के कर्मियों, अन्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से किसी तरह का नगद लेन–देन नहीं किया जावेगा। इसके उपरांत यदि लेन–देन किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी।

(17) वाहन ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा राशि राजसात करते हुये निविदा निर्धारित अवधि से पूर्व ही निरस्त की जा सकती है।

(18) वाहन ठेकेदार बिना महासंघ की अनुमति के विपणन कार्य हेतु वाहन नहीं बदल सकता व वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिए बिना अनुमति के वाहन बदल सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक दिन से अधिक का समय लगता है तो महासंघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि तक के लिए दूसरा वाहन चला सकता है, परंतु लगाई गई वैकल्पिक वाहन अच्छी स्थिति में, समान भार क्षमता एवं इंसुलेटेड वाहन संचालन आदेश की स्थिति में वैकल्पिक वाहन भी इंसुलेटेड होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी मापदण्ड का पालन न होने पर स्वीकृत दर का 50 प्रतिशत ही भुगतान किया जावेगा, एवं ऐसी स्थिति लगातार 5 दिन से अधिक रहने पर सुरक्षा राशि राजसात करते हुयें संचालन आदेश निरस्त किया जा सकेगा, साथ ही महासंघ द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था में दर अंतर की राशि वाहन ठेकेदार के लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।

ठेके की अवधि में यदि वाहन ठेकेदार किसी दिन वाहन दूध वितरण करने में असफल रहता है तो उस दिन की आदेशित संपूर्ण दूध एवं दुग्ध उत्पाद की उपभोक्ता दर पर राशि दंड स्वरूप वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी तथा उस दिन के परिवहन देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा। दंडित राशि के उत्पाद वाहन ठेकेदार को नहीं दिये जायेंगे। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यदि महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था कर वितरण कार्य संपन्न कराता है तो ऐसी प्रत्येक घटना पर इस व्यवस्था में हुये अतिरिक्त व्यय की राशि दस हजार रूपये के अर्थदंड के साथ वसूल की जावेगी। रास्ते में वाहन खराब होने/दुर्घटना ग्रस्त होने पर वाहन टेकेदार को अपनी जिम्मेदारी तथा व्यय पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा दूध/दुग्ध पदार्थ को निश्चित जगह पर निर्धारित समय पर पहुँचना होगा। ऐसी परिस्थिति में हुए नुकसान की कोई प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा नहीं की जावेगी, तथा नुकसान की वसूली वाहन ठेकेदार से की जावेगी। वैकल्पिक व्यवस्था में विलंब होने पर हुये नुकसान की भरपाई द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से की जावेगी। दूध एवं दुग्ध पदार्थ अपने गंतव्य तक न पहुँच पाने की प्रत्येक स्थिति में इनकी उपभोक्ता दर पर राशि रू. 10,000/– के अर्थदण्ड के साथ वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(19) वाहन ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त होने पर 1 माह के अंदर दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध महासंघ के उत्पादो का विज्ञापन अनुबंधित वाहनो पर लिखवाना होगा। इंसुलेटेड वाहनों में महासंघ उपयुक्त विनाईल लगवायेगा जिसके लिये 2 टन क्षमता तक की वाहनों पर रू. 3,000/– तथा बड़ी वाहनों हेतु रू. 5,000/– परिवहन ठेकेदार के प्रथम देयक से काटा जावेगा। सामान्य वाहनों पर निविदाकार द्वारा उपयुक्त विज्ञापन जिसमें संपर्क नंबर लिखा हो स्वयं लगवाये जायेंगे। विज्ञापन निर्धारित अवधि तक नहीं लगवाने पर रू. 100.00 प्रतिदिन आर्थिक दण्ड भी लगाया जावेगा।

(20) वाहन ठेकेदार अनुबन्ध अवधि में यदि ठेके हस्तांतरण करना चाहेगा तो प्रबन्ध संचालक की अनुमति से रूपये 10,000/– (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) हस्तातंरण शुल्क महासंघ कार्यालय में जमा कर स्वीकृत दर पर वाहन की स्वीकृत क्षमता, अनुबन्ध की शर्त मान्य करने वाले अन्य व्यक्ति को जिसके नाम से वाहन हो, अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए अनुबन्ध की शर्तों को मान्य कराते हुए हस्तांतरित कर सकेगा। इस प्रकार के हस्तांतरण की कार्यवाही 10 दिन पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पन्न करना होगा। अनुबंध से प्रथम तीन माह तक ठेका हस्तातंरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(21) दुग्ध विपणन में सामान्य (नॉन इंसुलेटेड) वाहन में गर्मी एवं वर्षा से बचाव के लिए वाहन ठेकेदार को वाहन पर हुड/त्रिपाल/तालपत्री लगाना अनिवार्य होगा। हूड/त्रिपाल/तालपत्री के ना होने पर ऐसे प्रत्येक अवसर/ट्रीप पर रू. 500/– पेनाल्टी की जावेगी।

(22) रास्ते मे मिलावट करते हुए/दूध बेचते हुए/चोरी करते हुए पकड़े जाने पर नुकसान की वसूली एवं रू. 10,000/– जुर्माना किया जावेगा। ऐसी गलती दोबारा होने पर सुरक्षा राशि राजसात करते हुयें ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

(23) दस्तावेजों में कोई भी हेराफेरी करने पर सुरक्षा राशि राजसात करते हुयें ठेका निरस्त कर भरपाई वाहन ठेकेदार से की जावेगी।

(24) वाहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी वाहन ठकेदार की रहेगी व इस वजह से यदि महासंघ या इसकी किसी इकाई/संस्था को हानि होगी, तो वह वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(25) डेयरी की परिधि के अन्दर आने वाली वाहन निर्धारित रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाई जावेगी, न ही डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई की जायेगी। इसी प्रकार वाहन ठेकेदार के वाहन चालक/हेल्पर द्वारा प्लांट परिसर में अनुशासन भंग कार्य किये जाने पर प्रथम पक्ष को स्वविवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा। वाहन का डेयरी डाक पर प्रतिदिन निरीक्षण किया जावेगा। वाहन साफ न होने पर डेयरी डाक सहायक की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी प्रत्येक अवसर पर रू. 200/– का कटौत्रा वाहन ठेकेदार के देयक से किया जावेगा। इस संबंध में डेयरी डाक सहायक से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट ही पर्याप्त आधार होगी।

(26) स्वीकृत दर अनुबंधित अवधि में लागू रहेंगे। ठेकेदार को अनुबन्ध अवधि में वाहन हेतु उपयोग में आने वाले डीजल/आईल की व्यवस्था किसी भी परिस्थितियों मे स्वयं करनी पड़ेगी। इसके लिए किसी प्रकार से व्यवस्था की जवाबदारी महासंघ की नहीं रहेगी। अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जब्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को विपणन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

निविदा खोले जाने की तिथि में प्रचलित डीजल दर को आधार डीजल दर मानते हुये अनुबन्ध अवधि में डीजल की दर में वृद्धि/कमी होने पर अनुपातिक दर से वृद्धि/कमी की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

वाहन का प्रकार	औसत कि.मी. प्रति लीटर डीजल
जीप	15
टाटा ए.सी.ई.	22
महेन्द्रा मैक्स	15
डी.आई. 207	15
पिकअप	15
टाटा 407 या बड़ी वाहनों	10

(27) वाहन ठेकेदार यदि अनुबंध अवधि के बीच में ठेका/अनुबंध समाप्त करना चाहेगा तो उसे महासंघ को तीन माह पूर्व लिखित में सूचना देना होगा, एवं वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वाहन संचालन जारी रखना होगा । यदि तीन माह पूर्व ठेका समाप्ति की सूचना नहीं दी जाती है तो महासंघ को वाहन ठेकेदार की सुरक्षा राशि राजसात करने का अधिकार होगा।

(28) वाहन ठेकेदार को वाहन के साथ कम से कम एक कर्मचारी वाहन चालक के अतिरिक्त रखना होगा जो सामान उतारने एवं चढ़ाने हेतु सहायता एवं सामान की देख रेख करेगा। दो व्यक्तियों से कम/अधिक व्यक्तियों वाहन में नहीं रखे जायेंगे। दुग्ध परिवहन वाहन पर रखे गये वाहन चालक, परिचालक की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा वह लाइसेंस शुदा हो। कर्मचारी के नाम एवं पूर्ण पता फोटो सहित महासंघ को लिखित में देना होगा एवं वाहन चालक के पास मोबाईल होना अनिवार्य आवश्यक होगा। यदि अनुबंधित वाहन मार्ग पर किसी कारण से विलम्ब होती है तो उसकी सूचना संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक एवं आगे के विक्रय केन्द्रों/संस्थाओं को उनके सम्पर्क नंबरो पर अवगत कराना होगा।

(28) बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था को दूध देने के पश्चात मात्रा प्राप्ति की रसीद वाहन ठेकेदार को संबंधित से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधिकृत प्रतिनिधि को देनी होगी। प्राप्ति की रसीद बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था के हस्ताक्षरयुक्त नहीं होने पर यदि दूध/दुग्ध पदार्थ की मात्रा के संबंध में विवाद हुआ तो अंतर की राशि वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(29) महासंघ को निर्धारित मार्ग को बढ़ाने, घटाने या पुर्नसंरचित करने का अधिकार रहेगा। इस तरह जितना भी दूरी बढ़े या घटे उसमें निर्धारित दर/वास्तविक व्यय से भाड़ा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा।

(30) उपरोक्त शर्तों का पालन करने तथा महासंघ द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों/आदेशों और सूचनाओं का पालन करने हेतु वाहन ठेकेदार बाध्य होगा, अन्यथा कभी भी ठेका निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा तथा सुरक्षा की राशि राजसात की जा सकेगी।

(31) प्रबंध संचालक को महासंघ के हित में यह अधिकार होगा की वह परिवहन ठेके को आवश्कता न पड़ने पर बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सके।

(32) एक्सीडेन्ट एवं अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की या तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति की पूर्ति की पूर्ण जवाबदारी वाहन के ठेकेदार की होगी एवं महासंघ के सामान के क्षति की राशि की वसूली उपभोक्ता दर पर वाहन ठेकेदार से की जायेगी। साथ ही दुर्घटना के कारण होने वाली सभी देनदारियॉ/मुआवजा की जवाबदारी अकेले वाहन ठेकेदार पर ही होगी।

(33) अनुबंध निष्पादन के पश्चात् वाहन ठेकेदार को अनुबंध की अवधि के दौरान समस्त श्रम विधान जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. पर लागू हो अथवा जो समय-समय पर विधान द्वारा लागू किये जावेंगे मान्य होंगे। ऐसे सभी विधान के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समस्त देय राशि जैसे ई.एस. आई.सी. अधिनियम के अन्तर्गत ई.एस.आई. उपादान, भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि उपादान तथा वेतन भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत वेतन आदि की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी। यदि वाहन ठेकेदार उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का भुगतान करने में असफल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो समस्त लेनदारी उसके बिलों में से काटने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. रायपुर को होगा एवं ऐसे कटौत्रा के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा । भाासन द्वारा सेम्पल डिक्लेरेशन U/S 194 C(6) फार नान डिक्लेरेशन आफ टैक्स एट सोर्स भरकर जमा करना होगा। **ठेका समाप्त होने पर वाहन ठेकेदार को समस्त देयताएं पूर्ण करने का शपथपत्र देना होगा।**

...16...

(34) इस अनुबन्ध एवं इसकी शर्तों में समय–समय पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. के नियमों विनियमों एवं शर्तों के अनुसार परिवर्तित/परिवर्धित की जा सकती है जिसे वाहन ठेकेदार मानने को बाध्य होगा ।

(35) इस अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत विषयों से संबंधित उभयपक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा।

(36) अनुबंध करते समय वाहन ठेकेदार को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (पैन) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आव यक होगा।

(37) वाहन चालक मद्यपान या अन्य किसी नशे की हालत में के वाहन न चलाए। वाहन चालकों की वाहन ठेकेदार द्वारा निरंतर चैकिंग की जाकर दोशियों को सेवा से पृथक किया जाना होगा।

(38) महासंघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध विपणन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावें, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो अधिकतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा। साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।

(39) किसी दुग्ध संयंत्र में अवरोध होने पर विपणन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

(40) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिमय 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आव यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व वाहन ठेकेदार का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(41) वाहन ठेकेदार अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु. .... संबंध .... उम्र .... को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोशित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कु. .... को महासंघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर महासंघ को वाहन ठेकेदार देगा।

(42) इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि महासंघ, इसकी इकाइयों, संस्थाओं, व्यवसायिक साझीदारों आदि की निकलेगी तो महासंघ को वाहन ठेकेदार की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिए भी वाहन ठेकेदार और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।

(43) दुग्ध विपणन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स निविदा दर में ही सम्मिलित हैं। जिन मार्गो पर नये टोल टेक्स प्रारंभ होगे, उनके लिए अलग से भुगतान महासंघ द्वारा किया जावेगा।

(44) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।

(45) दुग्ध विपणन परिवहन हेतु अनुबंध की कंडिकाएं 01 से 44 तक मैने अपने पूर्ण होशोहवाश से पढ़ ली है जो मुझे मान्य एवं बाध्यकारी है।

इस अनुबन्ध पत्र पर उभय पक्ष द्वारा आज दिनांक ------------- को दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये गये तथा सुरक्षा राशि .... (अक्षरी राशि रू. ....) मात्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. जिला रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक ---------------- दिनांक ------------- को जमा किया गया।

मैं .... वाहन ठेकेदार अनुबंध की कंडिकाओं का अवलोकन भलि भांति एवं पूर्ण होशोहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष महासंघ से अनुबंध निष्पादित करता हूं।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
प्रबन्ध संचालक/प्रतिनिधि	**अनुबन्धकर्ता**
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.	नाम ----------------------------
प्रथम पक्ष	पता ----------------------------

वाहन ठेकेदार द्वितीय पक्ष

गवाह प्रथम पक्ष	**गवाह द्वितीय पक्ष**
1– हस्ताक्षर—————————	1–हस्ताक्षर—————————
नाम —————————	नाम —————————
पता —————————	पता —————————
—————————	—————————
—————————	आधार क्रमांक —————————
—————————	मो. क्रमांक —————————
2– हस्ताक्षर—————————	2–हस्ताक्षर—————————
नाम —————————	नाम —————————
पता —————————	पता —————————
—————————	आधार क्रमांक —————————
—————————	मो. क्रमांक —————————

अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी—————————————————

द्वितीय पक्ष से संबंध –.....................................

नामांकित उतराधिकारी के हस्ताक्षर– ....

नामांकित उतराधिकारी का स्थायी आयकर खाता क्रमांक (पेन नं.)–

नामांकित उतराधिकारी का आधार क्रमांक ....

नामांकित उतराधिकारी का मो. क्रमांक ....

PRE CONTRACT INTEGRITY PACT

संदर्भ :– **क्रमांक / 4108 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2023** **उरला, दिनांक 13.01.2023**

1. GENERAL

This pre-bid contract Agreement (herein after called the integrity pact) is made on…………………………… day of the month ………….20………, between, the Government of Chhattisgarh acting through the Managing Director, Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit (Designation of the officer, Department) government of Chhattisgarh (hereinafter called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) as the First party, who proposes to hire vehicles for transportaion of milk and milk products and Shri

……………………………………………. Son/Daughter of __________________________ (here in after called the "BIDDER/Seller", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) as the second party, who is willing to offer/has offered the desired service.

WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/Government/ undertaking

/partnership/Registered Export Agency, Constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to :-

Enabling the BUYER to obtain the desired Store/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

Enabling the BIDDERS to abstain from bribing of indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following:-

The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same prima facie found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF THE BIDDER

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commititself to the following:-

The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of thecontract.

The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the contract of forbearing. To do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavor to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

The BIDDER further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in

any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of the Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any public sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify BIDDER"s exclusion from the tender process.

If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through Bank Draft in favour of Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit.

The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contact that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture if Performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/ Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceeding with the other BIDDER(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason thereof.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving anycompensation to the BIDDER.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate While in case of a BIDDER from a country other than India with interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(V) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to recover the payments already made by the BUYER, along with interest.

(iii) To cancel all or any other contracts with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/ rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not beopened.

(x) If the BIDDER or any employee the BIDDER or any person acting on behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term close relative for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer any in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money (s) due to the BIDDER.

7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER.However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purpose of this Pact.

8 FALL CLAUSE

The BIDDER undertakes that it has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, than that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER , if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT MONITORS

The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/ Subcontractor(s) with confidentiality.

As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by the BUYER.

The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correction problematic situations.

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this integrity Pact at..on ....

BUYER	BIDDER
	Name of the Bidder
Name of the Officer Designation Department/PSU	
Witness	witness
1)	1)...
....	....
2)	2)..

अनुसूची–1

(रू. 10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत प्रस्तुत किया जावे।)

शपथ पत्र

मै .... आयु .... पिता/पति श्री .... निवासी .... मो0 नंबर .... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :–

1. मैं उपरोक्त दर्ज पते पर निवासरत हूँ।
2. मैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की निविदा क्रमांक 4108 /छगदुमसं/विपणन/2023 उरला, दिनांक 13.01.2023 के नियम, शर्त एवं अनुबंध की कंडिकाओं पर सहमत होते हुये, सरल क्रमांक .... मार्ग क्रमांक .... मार्ग विवरण .... में वाहन संचालन हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।
3. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा मुझे किसी भी कारण से कभी भी अपनी निविदाओं में भागीदारी से रोकने हेतु काली सूची में नहीं डाला गया है।
4. मुझे यह ज्ञात है कि यदि भविष्य में पाया गया कि मुझे कभी भी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा काली सूची में डाला गया है, तो मेरी निविदा स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ होने के बाद भी मेरी धरोहर/सुरक्षा राशि राजसात करते हुये जुर्माने के साथ निरस्त की जा सकती है।
5. यह शपथ पत्र मेरे द्वारा निविदा क्रमांक /छगदुमसं/विपणन/2023 उरला, दिनांक 13.01.2023 के आवश्यक दस्तावेज के रूप में दिया जा रहा है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मै .... पिता/पति श्री .... एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 5 तक संपूर्ण कथन मेरी संपूर्ण जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सत्य है। मेरे द्वारा यह शपथ पत्र स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

गवाह

1.		2.	
	हस्ताक्षर :		हस्ताक्षर : ....
	नाम :		नाम : ....
	पता :		पता : ....
	आधार क्रमांक		आधार क्रमांक ....
	मो. क्रमांक		मो. क्रमांक ....

।। दुग्ध विपणन परिवहन हेतु निविदा सूचना ।।

धरोहर राशि विवरण (अनुसूची 2)

संदर्भ :– क्रमांक / 4108 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2023 उरला, दिनांक 13.01.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सरल क्र.	मार्ग क्र.	मार्ग विवरण	अनुमानित दूरी किलो.	कुल धरोहर राशि	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	निविदा स्वीकृति पर जमा की जाने वाली धरोहर राशि	भार क्षमता टन	शहर
1	5	उरला–भिलाई–दुर्ग–नगपुरा–उरला	145	20,000.00	5,000.00	15,000.00	1.5	भिलाई, दुर्ग एवं नगपुरा
2	7 ए	उरला–भिलाई–सी.आई.एस.एफ.–आर.टी.सी–उतई–भिलाई–उरला	85	15,000.00	5,000.00	10,000.00	1.5	भिलाई एवं आस–पास क्षेत्र
3	7 बी	उरला–भिलाई–सेक्टर एरिया भिलाई शहर–उरला	90	15,000.00	5,000.00	10,000.00	1.5	भिलाई सेक्टर एरिया
4	11	उरला–अभनपुर–कुरूद–धमतरी–चारामा–कांकेर–केशकाल–उरला	390	60,000.00	10,000.00	50,000.00	3.0	अभनपुर–कुरूद–धमतरी–चारामा–कांकेर–केशकाल
5	12	उरला–राजिम–गरियाबंद–उरला	240	25,000.00	5,000.00	20,000.00	2.0	उरला–अभनपुर–थनौद–राजिम–गरियाबंद–उरला
6	15	जगदलपुर स्थानीय	100	20,000.00	5,000.00	15,000.00	2.0	जगदलपुर स्थानीय
7	17	जगदलपुर करनपुर	30	5,000.00	2,000.00	3,000.00	1.5	जगदलपुर करनपुर
8	21	बिलासपुर–सीपत–बिलासपुर	100	20,000.00	5,000.00	15,000.00	1.5	बिलासपुर, सीपत एवं आस–पास
9	36	रायगढ़–खरसिया–रायगढ़	80	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.0	रायगढ़, खरसिया एवं आस–पास
10	37	रायगढ़–नलवा–पुंजीपतला–रायगढ़	97	15,000.00	5,000.00	10,000.00	1.5	रायगढ़ एवं आस–पास
11	38	दूबछोला–चिरमिरी–मनेन्द्रगढ़–राजनगर–दूबछोला	149	20,000.00	5,000.00	15,000.00	1.0	दुबछोला–चिरमिरी–मनेन्द्रगढ़ एवं आस–पास
12	39	उरला–कुशालपुर–माना–नवा रायपुर–उरला	125	20,000.00	5,000.00	15,000.00	3.0	रायपुर–माना कैम्प–नवा रायपुर
13	41	उरला–चरोदा–भिलाई 3–जामुल–कोहका–कुरूद–भिलाई–उरला	118	15,000.00	5,000.00	10,000.00	2.0	भिलाई जामुल
14	46	अंबिकापुर–सूरजपुर–बैकुंठपुर–अंबिकापुर	166	20,000.00	5,000.00	15,000.00	1.5	अंबिकापुर–सूरजपुर एवं आस–पास
15	53	अंबिकापुर स्थानीय	116	15,000.00	5,000.00	10,000.00	1.0	अंबिकापुर एवं आस–पास
16	55	उरला–महासमुंद–बागबाहरा–नवोदय सरायपाली–उरला	438	60,000.00	10,000.00	50,000.00	3.0	महासमुंद–बागबाहरा–बसना–सरायपाली

अनुसूची–3

(रू. 10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत प्रस्तुत किया जावे।)

शपथ पत्र

मै .... आयु .... पिता/पति श्री ....

निवासी .... मो0 नंबर .... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅ कि :–

1. मैं उपरोक्त दर्ज पते पर निवासरत हूॅ।
2. मैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की निविदा क्रमांक 4108/छगदुमसं/विपणन/2023 उरला, दिनांक 13.01.2023 के नियम, शर्त एवं अनुबंध की कंडिकाओं पर सहमत होते हुये, सरल क्रमांक .... मार्ग क्रमांक .... मार्ग विवरण .... में वाहन संचालन हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूॅ।
3. मेरे कोई भी निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में कार्यरत नहीं है।
4. मेरे कोई भी निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में माननीय संचालक सदस्य नहीं हैं।
5. मुझे यह ज्ञात है कि यदि भविश्य में पाया गया कि मेरे कोई निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में कार्यरत हैं, या इसके माननीय संचालक सदस्य हैं, तो मेरी निविदा स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ होने के बाद भी मेरी धरोहर/सुरक्षा राशि राजसात करते हुये जुर्माने के साथ निरस्त की जा सकती है।
6. यह शपथ पत्र मेरे द्वारा निविदा क्रमांक /छगदुमसं/विपणन/2023 उरला, दिनांक 13.01.2023 के आवश्यक दस्तावेज के रूप में दिया जा रहा है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>सत्यापन</u>

मै .... पिता/पति श्री .... एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 6 तक संपूर्ण कथन मेरी संपूर्ण जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सत्य है। मेरे द्वारा यह शपथ पत्र स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>गवाह</u>

1. हस्ताक्षर :	2. हस्ताक्षर : ....
नाम :	नाम : ....
पता :	पता : ....
आधार क्रमांक	आधार क्रमांक ....
मो. क्रमांक	मो. क्रमांक ....